Fax

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संख्या–1जी / ई0 मु0 स्था0(पंचायत चुनाव)–20–07 / 2016–

प्रेषक,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक कल्याण,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी

पटना, दिनांक–

विषयः–पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः–सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना का पत्रांक–180 दिनांक–20.01.16.

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन 2016 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा उम्मीदवारों, सरकारी विभागों एवं कर्मियों एवं पंचायत के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित की गई है। संबंधित आदर्श आचार संहिता की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

पंचायत आम निर्वाचन 2016 में संलग्न सभी पदाधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करना / कराना सुनिश्चित करेंगें।

विश्वासभाजन

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1जी / ई0 मु0 स्था0(पंचायत चुनाव)–20–07 / 2016– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1जी / ई0 मु0 स्था0(पंचायत चुनाव)–20–07 / 2016–561 पटना, दिनांक– 2.3.16

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग पटना को इस निदेश के साथ की सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक–180 दिनांक–20.01.16 (प्रति संलग्न)को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

Received 2/3/16
सरकार के अवर सचिव।

38 Anita E.Mu.stha.

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के लिए
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित
आदर्श आचार संहिता

सत्यमेव जयते

उम्मीदवारों के लिए
सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए
पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता

भाग–1
(उम्मीदवारों के लिए)

1– सामान्य आचरण :

(1) किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

(2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।

(3) उपासना के किसी स्थल, यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(4) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलूओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(5) किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसके और उसके कार्यकर्त्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

(6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक एवं धार्मिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

(7) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा।

(8) उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अपराध हों जैसे कि –

(i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्प्लेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,

(ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,

(iii) किसी चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,

(iv) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,

(v) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत माँगना,

(vi) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

(vii) मतदान/ मतगणना केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक या अशोभनीय या विश्रृंखल आचरण करना या मतदान/ मतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना,

(viii) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात अपने पक्ष में गलत नाम से मतदान कराने का प्रयास करना।

(9) मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकत्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

(10) किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर-जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(11) किसी भी उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार या उनके चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

(12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाना चाहिए।

(13) मतदान केन्द्र/ मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र अवश्य दिया जाना चाहिए।

(14) चूँकि वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए।

(15) शासकीय/ अर्द्धशासकीय परिसदनों, विश्राम गृहों, डाकबंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार/ चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिए।

(16) किसी भी सरकारी /सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार तथा चाहरदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थकों द्वारा

(i) किसी तरह का पोस्टर/ सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए।

(ii) किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए।

(iii) किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जाना चाहिए।

2- सभाएँ :

(1) किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।

(2) प्रस्तावित सभा के आयोजन क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु आवश्यक अनुज्ञा सक्षम पदाधिकारी से सभा के पूर्व प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(3) किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा आम सभा में व्यवधान / विघ्न उत्पन्न करने/ तत्संबंधी प्रयास करने पर आम सभा आयोजकों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त की जाए, वे स्वयं एसे व्यक्तियों के विरूद्ध अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

(4) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएँ की जा रही हों, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए।

3- जुलूस

(1) किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जायगा तथा सामान्यतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(2) उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गों से ले जायें जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति मिली हो। इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।

(3) जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जायगी ताकि पुलिस द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

(4) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से नहीं निकाला जाना चाहिए, जिसमें कोई निषेधात्मक आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो। अगर ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाय।

(5) जूलूस के आयोजकों द्वारा जुलूस को पार करने हेतु आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही कर ली जाएगी ताकि यातायात बाधित न हो अथवा उसमें कोई विघ्न नहीं हो। यदि जुलूस काफी लम्बा हो तो उसे टुकड़ों में आयोजित करेंगे ताकि सुविधाजनक कालान्तर में सड़क/ चौराहों पर जुलूस गुजर सके तथा उस क्रम में यातायात भी बाधित नहीं हो ।

(6) जुलूस को सड़क के यथासंभव दाहिना रखा जायगा तथा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/ कर्मी के निर्देश एवं सुझाव का अवश्य पालन किया जाये।

(7) यदि दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्गांश पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाये अथवा यातायात बाधित नहीं हो। संतोषजनक व्यवस्था हेतु आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

(8) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

(9) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्त्ताओं को रोकना चाहिए।

4- मतदान के दिन (सभी उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों द्वारा)

(1) चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जायगा।

(2) अपने प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले/ बैज या पहचान-पत्र दिया जायेगा।

(3) मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।

(4) मतदान की तिथि को तथा उसके 24 घंटे पूर्व के दौरान शराब/मादक द्रव्य को वितरण से परहेज किया जायेगा।

(5) मतदान केन्द्र के समीप स्थापित शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी ताकि विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तनाव अथवा झगड़ा को टाला जा सके।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्याशी का शिविर साधारण हो – किसी प्रकार के पोस्टर, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं हो।शिविर में किसी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था नहीं की जायगी या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी, तथा

(7) मतदान की तिथि को वाहन परिचालन पर लगाये गये प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया जायगा तथा मतदान की तिथि को वाहन परिचालन हेतु सक्षम पदाधिकारी से पूर्व से ही परमिट प्राप्त कर संबंधित वाहन पर सुगोचर स्थान पर चिपकाया जायगा।

5- मतदान कोष्ठ

मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के वैध प्रवेश पत्र के बिना मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करेगा।

6- प्रेक्षक

राज्य निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। यदि उम्मीदवार या उनके एजेण्टों को निर्वाचन संचालन संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो, तो वे उसको प्रेक्षक के संज्ञान में लायें।

7- सरकार के पदधारी

पंचायत निर्वाचन के क्रम में सरकार के पदधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर न दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी पदीय स्थिति का उपयोग किया है और विशेष रूप से वे सरकारी वायुयान, वाहन तंत्र एवं मशीनों सहित सरकारी परिवहन और कर्मचारियों का उपयोग अपने हित साधन के लिए नहीं करेंगे।

(क) मंत्रीगण सरकारी दौरों के कार्यक्रम को चुनाव प्रचार अभियान कार्य के साथ मिश्रित नहीं करेंगे तथा सरकारी तंत्र या कार्मिकों का उपयोग चुनाव प्रचार अभियान में नहीं करेंगे।

(ख) समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में राजकोष की लागत पर विज्ञापन निर्गत करने और निर्वाचन अवधि के दौरान सरकार की उपलब्धियों या किसी योजना विशेष के संबंध में राजनीतिक समाचारों और प्रचार के समर्थक विवरण के लिए सरकारी जन माध्यमों के दुरूपयोग का सावधानी पूर्वक परिहार करना होगा।

(ग) निर्वाचन की घोषणा किये जाने के समय से विवेकाधीन निधि से मंत्रीगण और अधिकारी अनुदान/ भुगतान की स्वीकृति नहीं देंगे और

(घ) निर्वाचन की घोषणा किये जाने के समय से मंत्रीगण और अन्य अधिकारी–

(क) किसी भी रूप में किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा अथवा उसके लिए आश्वासन नहीं देंगे, या

(ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास आदि नहीं करेंगे, या

(ग) सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं, आदि की व्यवस्था का कोई आश्वासन नहीं देंगे या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई ऐसी तदर्थ नियुक्ति, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतों को प्रभावित करे, नहीं करेंगे।

(ङ) किसी प्रत्याशी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्त्ता के रूप में अपनी हैसियत के सिवाय केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्रीगण किसी मतदान केन्द्र अथवा मतगणना-स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे।

(च) निर्वाचन सभाओं का आयोजन करने के सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान आदि और निर्वाचन के संबंध में उड़ानों के लिए हैलीपैड के उपयोग को अपने एकाधिकार में नहीं रखेंगे। सभी प्रत्याशियों को उक्त स्थानों और सुविधाओं के उपयोग की अनुमति समान निर्बंधनों और शर्त्तों पर दी जाएगी।

(छ) विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर केवल सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्थित प्रत्याशियों का एकाधिकार नहीं होगा; सभी प्रत्याशियों को निष्पक्ष ढंग से तथा उपलब्धता के आधार पर उक्त आवासों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

8– सांसदों/विधान मंडल के सदस्यों के लिए

निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक संसद सदस्यों या विधान मंडल सदस्यों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में, जहाँ कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए।

9– शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध :

(1) सरकार सहित सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या सरकार से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, पंचायतों के पदधारकों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

(2) निर्वाचन के दौरान चुनाव कार्य अथवा चुनाव सम्बन्धी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों के सहित किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव कार्य अथवा चुनाव सम्बन्धी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर भुगतान के आधार पर भी, पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। परन्तु उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग सरकारी कार्य के दौरान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी कार्यों के साथ चुनाव कार्य जोड़ा नहीं जायेगा।

(4) ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जबकि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यो के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और तत्पश्चात् चुनाव कार्य हेतु स्थानीय दौरा किसी निजी वाहन के माध्यम से करते हों, तो पूरे दौरा को चुनाव कार्य हेतु सम्पन्न किया गया माना जाएगा। अर्थात किसी भी परिस्थिति में सरकारी यात्रा तथा चुनाव कार्य हेतु यात्रा एक ही साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

भाग–2

1- सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए

1. अधिसूचना की तिथि से मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति/सहमति प्राप्त किये बिना ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या इस हेतु किसी नयी योजना या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना।

2. सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

3. चुनाव के दौर के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार देना चाहिए।

4. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है।

5. विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपभोग सभी उम्मीदवारों को समान शर्तों पर करने दिया जाना चाहिए। परन्तु किसी भी उम्मीदवार को ऐसा भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार/चुनाव बैठक के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(क) सरकारी यात्रा के क्रम में केन्द्रीय संरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों, लोक उपक्रमों के अध्यक्ष / उपाध्यक्षों के लिए परिसदन/ निरीक्षण भवनों आदि में ठहरने के लिए आरक्षण में राजनैतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा।

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों के पदधारकों/ विधायकों/ पंचायत निकायों के निर्वाचन से सम्बन्धित उम्मीदवारों को निरीक्षण भवन आदि में ठहरने के लिए आरक्षण सम्बन्धी अधियाचना प्राप्त होने पर समदर्शिता का भाव रखते हुए तथा राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर बिना किसी भेदभाव किये कमरे की उपलब्धता के आधार पर ''First come first serve'' की नीति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री / लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्षों / सांसदों/ विधायकों/ राजनैतिक दलों के पदधारकों को परिसदन/ निरीक्षण भवन आदि का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी सभा का आयोजन/ चुनाव प्रचार/ अभियान हेतु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. साधारणतः चुनाव के समय जो भी सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा मानी जानी चाहिए और उस पर कोई सरकारी व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

2- विकास योजनाओं के क्रियान्वन के लिए

(1) ऐसी सभी योजनाएं, जो पहले से ही स्वीकृत हैं और जिनपर कार्य प्रगति में है, का कार्यान्वयन होता रहेगा।

(2) इसी प्रकार ऐसी सभी योजनाएँ जो पहले से स्वीकृत हैं तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था किन्तु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और उसके लिए अब निधि उपलब्ध हो गयी है, उस सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।

(3) केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(4) ऐसी केन्द्रीय योजनाएँ जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त होती है, और जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है उन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(5) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(6) इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन पर कोई पावंन्दी नहीं रहेगी।

(7) राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(8) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

निबंधित लाभार्थियों के लिए वैसी नई योजनाएँ निर्वाची पदाधिकारी को सूचना देते हुए आरम्भ की जा सकती हैं जो स्वीकृत योजनाओं की सूची में (shelf of projects) पूर्व से सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पूर्व से निधि कर्णांकित (earmarked) कर दी गयी है एवं क्षेत्र में लेबर की माँग है। जबतक चालू

योजनाओं में कार्य दिया जा सकता है तबतक कोई नई योजना सक्षम प्राधिकार द्वारा आरम्भ नहीं की जा सकेगी। shelf of projects की अनुपलब्धता अथवा इसमें उबलब्ध सभी योजनाओं के समाप्त हो जाने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकार ज़िला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से नई योजनाओं की स्वीकृत्ति प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर सकता है।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(10) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।

(11) आपात योजनाएँ यथा बाढ निरोधक योजनाओं, सुखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को पंचायत निर्वाचन की अवधि में प्रारंभ करने में कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(12) सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(13) सरकारी कार्यालयों की आधुनिकीकरण (जिसमें कम्प्यूटर तथा अन्य मॉडर्न गजट (Gadget) आदि चालू करना शामिल है) आदि पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगा।

(14) विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(15) पूर्व से स्वीकृत एवं क्रियान्वित हो रही योजनाओं को छोड़कर, ऐसी स्थानीय योजनाएँ जिनका कार्यानावयन पंचायतों द्वारा किया जाता है, और जो ऊपर (1) से (14) की उप कंडिकाओं में सामिल नहीं हैं, उन पर पावन्दी रहेगी।

(16) किसी भी परिस्थिति में किसी योजना को प्रारम्भ करने हेतु किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य, जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा; योजना का कार्यन्वयन संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से किया जाएगा।

(17) सरकार द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अधीन यदि किसी योजना की स्वीकृति दी जाती है तो उसका संसूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(18) राज्य में विकास से संबंधित कार्यकलापों की प्रगति को दर्शाते हुए किसी प्रकार का इश्तहार या विज्ञापनों का प्रसारण समाचार पत्रों या रेडियो/टेलिविजन आदि के माध्यम से नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी:– विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजनाओं से है, न कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित विकास योजनाओं से। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य योजनाओं से मतलब सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बाल कलयाण इत्यादि से संबंधित योजनाओं से है। किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय भवन निर्माण या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आयेंगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिलान्यास अथवा उद्घाटन पर पूर्ण पावबन्दी रहेगी, चाहे ऐसी योजना शहरी क्षेत्र में हों अथवा ग्रामीण क्षेत्र में।

(क) सरकारी यात्रा के क्रम में केन्द्रीय संरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों, लोक उपक्रमों के अध्यक्ष / उपाध्यक्षों के लिए परिसदन/ निरीक्षण भवनों आदि में ठहरने के लिए आरक्षण में राजनैतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा।

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों के पदधारकों/ विधायकों/ पंचायत निकायों के निर्वाचन से सम्बन्धित उम्मीदवारों को निरीक्षण भवन आदि में ठहरने के लिए आरक्षण सम्बन्धी अधियाचना प्राप्त होने पर समदर्शिता का भाव रखते हुए तथा राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर बिना किसी भेदभाव किये कमरे की उपलब्धता के आधार पर ''First come first serve'' की नीति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री / लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्षों / सांसदों/ विधायकों/ राजनैतिक दलों के पदधारकों को परिसदन/ निरीक्षण भवन आदि का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी सभा का आयोजन/ चुनाव प्रचार/ अभियान हेतु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. साधारणतः चुनाव के समय जो भी सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा मानी जानी चाहिए और उस पर कोई सरकारी व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

2- विकास योजनाओं के क्रियान्वन के लिए

(1) ऐसी सभी योजनाएं, जो पहले से ही स्वीकृत हैं और जिनपर कार्य प्रगति में है, का कार्यान्वयन होता रहेगा।

(2) इसी प्रकार ऐसी सभी योजनाएँ जो पहले से स्वीकृत हैं तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था किन्तु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और उसके लिए अब निधि उपलब्ध हो गयी है, उस सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।

(3) केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(4) ऐसी केन्द्रीय योजनाएँ जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त होती है, और जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है उन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(5) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(6) इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन पर कोई पावंन्दी नहीं रहेगी।

(7) राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(8) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

निबंधित लाभार्थियों के लिए वैसी नई योजनाएँ निर्वाची पदाधिकारी को सूचना देते हुए आरम्भ की जा सकती हैं जो स्वीकृत योजनाओं की सूची में (shelf of projects) पूर्व से सूचीबद्ध है एवं जिनके लिए पूर्व से निधि कर्णांकित (earmarked) कर दी गयी है एवं क्षेत्र में लेबर की माँग है। जबतक चालू

(5) किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए;

(6) पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें पंचायत की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो;

3. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

भाग–4

वैधानिक उपबन्ध

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने हेतु उपलब्ध वैधानिक उपबन्ध

1. धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाना/ बढ़ाना।	(i) बि.प.रा.अ., 2006 की धारा 130 (1) (ii) 153 ए भा.द.सं. (iii) भा.द.सं. की धारा 505
2. अन्य अभ्यर्थियों की आलोचना करते समय उनकी नीतियों/ कार्यक्रमों की ही आलोचना करनी है। ऐसे पहलुओं पर आलोचना न की जाय जिसका संबंध उनके सार्वजनिक जीवन से हो एवं उसकी सत्यता स्थापित न हो।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (जी)
3. निर्वाचन प्रचार के लिए मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रचार मंच के रूप में करना एवं जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई देना।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 ए (2)
4. मत प्राप्त करने हेतु भ्रष्ट आचरण अपनाकर मतदाताओं को रिश्वत देना – मतदाताओं को अभित्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत-याचना करना एवं मतदान समाप्त होने के 48 घंटा के अन्दर सार्वजनिक सभा करना, मतदान केन्द्र तक अपने सवारी से मतदाता को ले जाना।	(i) बि.प.रा.अ., 2006 की धारा 141 (i) (ii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(ई) (iii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(एफ) (iv) बि.प.रा.अ., 2006 की धारा 130(2)
5. किसी भी व्यक्ति के शान्तिपूर्ण और विघ्न रहित घरेलू	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143

(क) सरकारी यात्रा के क्रम में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों, लोक उपक्रमों के अध्यक्ष / उपाध्यक्षों के लिए परिसदन/ निरीक्षण भवनों आदि में ठहरने के लिए आरक्षण में राजनैतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा।

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों के पदधारकों/ विधायकों/ पंचायत निकायों के निर्वाचन से सम्बन्धित उम्मीदवारों को निरीक्षण भवन आदि में ठहरने के लिए आरक्षण सम्बन्धी अधियाचना प्राप्त होने पर समदर्शिता का भाव रखते हुए तथा राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर बिना किसी भेदभाव किये कमरे की उपलब्धता के आधार पर ''First come first serve'' की नीति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री / लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्षों / सांसदों/ विधायकों/ राजनैतिक दलों के पदधारकों को परिसदन/ निरीक्षण भवन आदि का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी सभा का आयोजन/ चुनाव प्रचार/ अभियान हेतु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. साधारणतः चुनाव के समय जो भी सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा मानी जानी चाहिए और उस पर कोई सरकारी व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

2- विकास योजनाओं के क्रियान्वन के लिए

(1) ऐसी सभी योजनाएं, जो पहले से ही स्वीकृत हैं और जिनपर कार्य प्रगति में है, का कार्यान्वयन होता रहेगा।

(2) इसी प्रकार ऐसी सभी योजनाएँ जो पहले से स्वीकृत हैं तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था किन्तु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और उसके लिए अब निधि उपलब्ध हो गयी है, उस सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।

(3) केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(4) ऐसी केन्द्रीय योजनाएँ जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त होती है, और जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है उन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(5) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(6) इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन पर कोई पावंन्दी नहीं रहेगी।

(7) राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(8) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

निबंधित लाभार्थियों के लिए वैसी नई योजनाएँ निर्वाची पदाधिकारी को सूचना देते हुए आरम्भ की जा सकती हैं जो स्वीकृत योजनाओं की सूची में (shelf of projects) पूर्व से सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पूर्व से निधि कर्णांकित (earmarked) कर दी गयी है एवं क्षेत्र में लेबर की माँग है। जबतक चालू

प्राप्त होने पर जुलुस निकालने के पूर्व के संबंध में पूरी सूचना पुलिस को देना है।	
2. यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर लगभग एक ही समय में जुलूस निकालना चाहे, तो संयोजक आपस में निर्णय कर टकराव रोकने के उपायों का विनिश्चय कर लेंगे तथा सभी पक्षकार यथाशीघ्र स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करेंगे।	30-32 पुलिस एक्ट
3. ऐसे किसी भी जुलूस में कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई चीज लेकर नहीं चलेगी जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है।	32 पुलिस एक्ट
मतदान दिवस –	
1. मतदान के दिन कोई भी शान्तिपूर्ण मतदान में व्यवधान नहीं पहुँचायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341/350/ 171(एफ)
अभ्यर्थी निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देंगे।	बि.पं.रा.अ. 2006 की धारा 130(9)
2. सभी अभ्यर्थी अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त पहचान पत्र या बिल्ला देंगे, मतदाताओं को दी गयी परची आदि सफेद कागज पर देंगे जिसपर कोई प्रतीक चिह्न या अभ्यर्थी का नाम नहीं हो; मतदान के 24 घंटा पूर्व से ही किसी भी व्यक्ति को शराब पेश नहीं किया जायेगा या वितरित नहीं किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 290
3. मतदान के दिन वाहनों से अवैध रूप से किराए पर लेना या उपयोग करना वर्जित है।	बि.पं.रा.अ. 2006 की धारा 136(11)
अन्यान्य –	
1. सरकारी विमानों/गाड़ियों सहित सरकारी वाहन, मशानरी एवं कार्मिकों का किसी के हित को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (सी)
2. सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान में चुनाव सभा आयोजित करने में किसी का एकाधिकार नहीं होगा, ऐसे स्थानों का उपयोग, सभी द्वारा समान विहित शर्त्तों पर किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (सी)
3. विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी बंगलों का उपयोग निष्पक्ष ढंग से सभी द्वारा किया जायेगा एवं ऐसे सरकारी आवासों एवं परिसरों का उपयोग चुनाव	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (एफ)

कार्यालय या चुनाव प्रचार अथवा चुनाव सभा करने के लिए वर्जित है।

4. निर्वाचन अवधि में प्रचार निष्पक्ष ढंग से करने के लिए सरकारी खर्च से समाचार पत्रों में कोई ऐसा समाचार या विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा जिसमें किसी की उपलब्धियाँ दिखाकर उन्हें लाभ पहुँचाया जा सके। — भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (एफ)

5. मंत्री एवं अन्य अधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय मंजूरी या वचन की घोषणा नहीं करेंगे। किसी प्रकार की परियोजना अथवा स्कीम की आधारशीला नहीं रखेंगे, सड़क निर्माण, पीने का पानी की सुविधा आदि की घोषणा नहीं करेंगे; सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की जायेगी। — भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (एफ)

भाग–5

मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सम्बोधित राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्र संख्या पं.नि.30–01/201–646 दिनांक – 11.02.2011

(प्रतिलिपि सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।)

विषय : पंचायत निकायों का निर्वाचन के दौरान परिसदनों/निरीक्षण भवनों/डाक बंगलों आदि के उपयोग के संबंध में।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने के बावजूद चुनाव के समय उम्मीदवारों के समर्थक राजनीतिक दलों के नेताओं का क्षेत्रीय भ्रमण बढ़ जाता है तथा परिसदनों/ निरीक्षण भवनों/ डाक बंगलों आदि में ठहरने हेतु आरक्षण अधियाचनाओं की संख्या में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है।

2. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि ऐसे भवनों के आवंटन में पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरती जाए ताकि किसी स्तर से इस संबंध में भेद-भाव बरते जाने के आरोप नहीं लगाए जा सकें।

3. पंचायत निकायों के निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन की शुद्धता को बनाये रखने के उद्देश्य से सरकारी/ अर्द्धसरकारी परिसदनों/ निरीक्षण भवनों/ डाक बंगलों/ अतिथिशालाओं आदि में ठहराने के लिए आरक्षण के संबंध में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रियों/ लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्षों/ सांसदों/ विधायकों/ राजनीतिक दलों के पदधारकों अथवा निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उनके ठहरने हेतु आयोग द्वारा निम्नांकित दिशा निर्देश दिए जाते हैं :–

(क) सरकारी यात्रा के क्रम में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों, लोक उपक्रमों के

अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के लिए परिसदन/निरीक्षण भवनों आदि में ठहरने के लिए आरक्षण में, राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर, कोई भेद-भाव नही किया जायेगा।

(ख) विभिन्न राजनीतिक दलों के पदधारकों/सांसदों/विधायकों/पंचायत निकायों के निर्वाचन से सम्बन्धित उम्मीदवारों से निरीक्षण भवन आदि में ठहरने के लिए आरक्षण सम्बन्धी अधियाचना प्राप्त होने पर समदर्शिता का भाव रखते हुए तथा राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर बिना किसी भेदभाव किये, कमरे की उपलब्धता के आधार पर "First come first serve" की नीति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री/लोक उपक्रमो के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सांसद/विधायक/राजनीतिक दलों के पदधारक/उम्मीदवार को परिसदन/निरीक्षण भवन आदि का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी आम सभा का आयोजन/चुनाव प्रचार अभियान हेतु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. ये दिशा निर्देश पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगे तथा मतगणना प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे।

5. निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने स्तर रो सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को आयोग के उपर्युक्त दिशा-निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाए।

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्र संख्या पं.नि.30-01/2011-638 दिनांक - 10.02.2011

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का निर्वाचन, 2011 - अभ्यर्थियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार के क्रम में तथा मतदान के दिन ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loud Spekar) के उपयोग के संबंध में।

पंचायत आम निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु बड़े पैमाने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किये जाने की संभावना है। ध्वनिविस्तारक यंत्र का उपयोग न केवल सभा स्थल पर बल्कि गतिशील वाहनों, यथा - जीप, स्कूटर, रिक्सा, कार, टेम्पु आदि पर भी प्रसारण हेतु किया जाता है। प्रायः ऐसा प्रसारण काफी ऊँची ध्वनि में किया जाता है, जिससे न केवल गम्भीर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है बल्कि जनसाधारण के अमन-चैन, उनकी प्रायवेसी तथा छात्रों के पठन-पाठन में भी बाधा पहुँचती है। अस्पतालों, धार्मिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों आदि को ऊँची ध्वनि से काफी असुविधा होती है। अतः चुनाव के समय ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग को नियंत्रित करना अत्यन्त आवश्यक है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सायक विचारोपरान्त, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में निम्नांकित दिशा निदेश दिये जाते हैं, जिन्हें तत्परता एवं सख्तीपूर्वक लागू करना जिला प्रशासन/निर्वाची पदाधिकारी का दायित्व होगा :-

(1) ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग छः बजे प्रातः से दस बजे रात्रि तक ही किया जा सकेगा। किसी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए, छः बजे प्रातः के पूर्व और दस बजे रात्रि के बाद, किसी भी क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) किसी आम सभा अथवा जुलूस के लिए उपर्युक्त समय के अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम सरकारी पदाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। इस तरह के अनुमति देने के पूर्व सरकारी पदाधिकारी सन्तुष्ट हो लेंगे कि इससे जनसाधारण के अमन-चैन में कोई बाधा नहीं होगी और वे उस अवधि/ समय का भी उल्लेख कर देंगे जिसके लिए अनुमति दी जायेगी।

(3) अगर उपर्युक्त समय के अतिरिक्त किसी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किया जाता है तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे सभी सहायक यन्त्रों के साथ जब्त कर लिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थक किसी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किसी वाहन के साथ करना चाहते हैं तो वे सक्षम पदाधिकारी को उस बाहन की निबंधन (रजिस्ट्रेशन) संख्या की लिखित सूचना देंगे, जिसके साथ उक्त ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किया जायेगा। अनुमति देने वाले पदाधिकारी अपने आदेश में उक्त बाहन की निबंधन संख्या निश्चित रूप से अंकित करेंगे।

(5) किसी भी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के लिखित अनुमति के नहीं किया जायेगा तथा ऐसे वाहन ध्वनि विस्तारक यन्त्र एवं अन्य सहायक यन्त्रों के साथ जब्त कर लिये जायेंगे जिनके पास अनुमति नहीं होगी।

(6) यह ध्यान रखा जाये कि घुमते हुए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग विद्यालय/ अस्पताल या धार्मिक स्थलों के निकट नहीं किया जायेगा ताकि इन संस्थानों की शान्ति में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो।

(7) सभी अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थक किसी निर्धारित स्थल अथवा घुमते हुये वाहन के लिए ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग करने के लिए (i) निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी तथा (ii) स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग के लिए लिखित सूचना देंगे तथा उनसे परमिट प्राप्त कर लेंगे।

(8) यह निर्वाची पदाधिकारी तथा स्थानीय पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे ध्वनि विस्तारक यन्त्र के उपयोग के लिए परमिट निर्गत करे और किसी भी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग उपर्युक्त दिये गये निदेशों के विपरित नहीं हो।

(9) ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग संबंधित चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि के अपराह्न पाँच बजे के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकेगा।

(10) बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा/ जुलूस में ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किये जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उसके ऊपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है। इसका उल्लंघन किये जाने पर बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और बादन नियन्त्रण अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चुनाव के दिन मतदान केन्द्र अथवा इसके आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्र, मेगा फोन इत्यादि का उपयोग वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वारा पर या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजि स्थान में मानव ध्वनि के प्रवर्द्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसे उपकरण का उपयोग करता है तो बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 130 की उप-धारा (8) के खण्ड (2) के तहत उसे तीन महीने के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

3. जनहित में लिये गये आयोग के उपर्युक्त निदेशों को गंभीरता से लिया जायेगा तथा दोषी/ उत्तरदायी व्यक्तियों/ पदाधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

4. निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी निर्वाची पदाधिकारी/ आरक्षी पदाधिकारियों को आयोग के निदेशों से भलीभाँति अवगत करा दिया जाये।

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्र संख्या पं.नि.30-01/2011-3200 दिनांक - 04.04.2011

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का निर्वाचन, 2011 - अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर/ बैनर आदि लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कतिपय जिलों से पंचायतों के अभ्यर्थियों एवं निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर/ बैनर आदि अपने आवास पर लगा सकते हैं अथवा नहीं। इसी प्रकार यह भी पृच्छा की जा रही है कि वे अपने चुनाव चुनाव प्रचार हेतु कार्यालय खोल सकते हैं अथवा नहीं एवं प्रचार हेतु प्रयुक्त वाहन पर पोस्टर/ बैनर लगा सकते हैं या नहीं ?

2. उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना है कि पंचायत आम निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवास एवं कार्यालय पर या प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर/ बैनर आदि लगाये जाने पर आयोग द्वारा कोई रोक नहीं लगायी गयी है।

3. अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं, परन्तु इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारियों को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर अवस्थित है। कार्यालय आदि के खोलने में होने वाला व्यय भी निर्वाचन व्यय की परिधि के अन्दर होगा।

4. अनुरोध है कि इसकी सूचना से सभी संबंधित को अविलंब अवगत करा दिया जाय।

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्र संख्या पं.नि.30-01/2011-639 दिनांक - 10.02.2011

विषय : त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/ग्राम कचहरी का निर्वाचन — मतदान के दिन मंत्रियों/सांसदों/विधायकों/पार्षदों द्वारा क्षेत्र में दौरे पर पाबन्दी के सम्बन्ध में।

महाशय,

विगत पंचायत निर्वाचनों के दौरान आयोग को ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि राज्य सरकार के कई मंत्रियों/विधायकों द्वारा मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाताओं तथा मतदान कर्मियों को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में वोट डालने के लिए दवाब डाला गया था। कतिपय मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों तथा उनके साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करते हुए मतदाताओं/मतदानकर्मियों को प्रभावित करने की भी शिकायतें आयोग को तत्समय प्राप्त हुई थीं।

2. ऐसी घटनाओं से निर्वाचन की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता संदेह के घेरे में आ जाती है तथा मतदान प्रक्रिया दूषित होने की प्रबल संभावना बनती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग का निम्नांकित दिशा-निर्देश संसूचित किया जाता है, जिसका क्रियान्यवयन सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का दायित्व होगा –

मतदान की तिथि के पूर्व की संध्या 5 बजे से मतदान की समाप्ति तक कोई भी मंत्री या विधायक/पार्षद/सांसद को उन क्षेत्रों में, जहाँ मतदान कराया जा रहा है, दौरे पर जाने नहीं दिया जायेगा। परन्तु यदि किसी मंत्री या विधायक/पार्षद/सांसद का नाम किसी पंचायत निर्वाचन की मतदाता सूची में दर्ज है और वे इस निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हों तो उन्हें सिर्फ अपना वोट डालने हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थापित मतदान केन्द्र में जाने की अनुमति दी जायेगी; अपना वोट डालने के तुरत वाद वे क्षेत्र से बाहर चले जायेंगे। मतदान केन्द्र पर जाने तथा मतदान केन्द्र से वापस आने के लिए वे सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। परन्तु मंत्री की सुरक्षा हेतु सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल एवं सरकारी वाहन का वे इस्तेमाल कर सकेगें। प्रतिनियुक्त अंगरक्षक/सशस्त्र बल मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि मतदान केन्द्र परिसर के बाहर मंत्री/सांसद/विधायक की वापसी की प्रतीक्षा करेंगे।

उपर्युक्त पाबन्दियाँ मतदान की तिथि के अतिरिक्त मतगणना अवधि में भी लागू रहेंगी। परन्तु यदि किसी प्राकृतिक आपदा तथा साम्प्रदायिक दंगा-हंगामा के दौरान मंत्री तथा विधायक/सांसद को प्रशासन को मदद करने हेतु तथा क्षेत्र में अमन-चैन बनाए रखने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र में दौरा पर जाना आवश्यक हो, तो उक्त परिस्थिति में ये पाबन्दियाँ लागू नहीं होंगी।

3. कंडिका -2 में उल्लिखित इन पाबन्दियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई (Preventive action) की जायेगी एवं इसके उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दंड संहिता के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि निदेश की अनदेखी करने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी ठहराए जायेंगे।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा निदेशों का सख्तीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सम्बोधित राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्र संख्या पं.नि.30-01/201-637 दिनांक - 10.02.2011

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का निर्वाचन - निर्वाचन के अवसर पर सरकारी वाहनों का दुरूपयोग रोकने के संबंध में।

पंचायत निर्वाचन हेतु शीघ्र ही अधिसूचना निर्गत की जानी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु यह आवश्यक है कि निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु उत्तरदायी बनाये गये प्रशासनिक तंत्र तथा चुनाव कर्त्तव्य पर लगे कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव के दौरान सरकारी वाहन ले चुनाव कार्य अथवा चुनाव संबंधी यात्रा किये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहे।

2. आगामी पंचायत निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन की शुद्धता को बनाये रखने के उद्देश्य से निर्वाचन के अवसर पर सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकना एक कारगर कदम के रूप में माना जाता है। इन्हीं उद्देश्यों से सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु आयोग द्वारा निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

(1) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव कार्य अथवा चुनाव सम्बन्धी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के भुगतान के आधार पर भी उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। परन्तु उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग सरकारी कार्य के दौरान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी कार्यों के साथ चुनाव कार्य जोड़ा नहीं जायेगा।

(2) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यों के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और तत्पश्चात् चुनाव कार्य हेतु स्थानीय दौरा किसी निजी वाहनों के माध्यम से करते हों तो ऐसी स्थिति में पूरी दौरा को चुनाव कार्य हेतु सम्पन्न की गई मानी जायगी। अर्थात किसी भी परिस्थिति में सरकारी यात्रा तथा चुनाव कार्य हेतु यात्रा एक ही साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(3) राज्य के अन्दर सरकारी वाहनों या अन्य राज्यों के सरकारी वाहनों, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पंचायत निकायों के निर्वाचन के सिलसिले में, के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

(4) कार/वाहनों को किसी भी परिस्थिति में तीन से अधिक की संख्या के कन्भाय को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा सभी बड़े कन्भाय, यदि वे केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ चल रहे हों तो भी उसे तोड़ दिया जायगा वशर्ते कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा सम्बन्धी निदेशों के अनुकूल हो।

(5) (क) ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जिनकी सुरक्षा अति उच्च श्रेणी की है तथा जिनकी सुरक्षा व्यवस्था राजकीय विधायिका या संसद द्वारा निर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है, उपरोक्त प्रतिबन्ध के अपवाद होंगे।

(ख) यदि किसी विशेष अधिनियम या नियम या अन्य किसी विशेष सरकारी निदेश के तहत किसी राजनैतिक व्यक्ति के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था प्रत्यक्षतः आवश्यकता से अधिक की गई हो तथा किसी विशेष उम्मीदवार के चुनाव हितों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई हो या अप्रत्यक्ष रूप से

उनके चुनावी हितों को मदद हो सकती है तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कर तुरंत आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा।

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना मांग सकेगा तथा ऐसी सूचना सरकार द्वारा तुरंत उपलब्ध कारावा जायगा।

(घ) यदि राज्य निर्वाचन आयोग को यह विश्वास हो जाता है कि किसी राजनैतिक व्यक्ति जिन्हे सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी वाहन, सशस्त्रबल के साथ या अन्यथा, उपलब्ध कारावा गया है और ऐसे व्यक्ति उसका नाजायज फायदा उठाकर चुनाव कार्यों हेतु सरकारी वाहनों का दुरूपयोग कर रहे हों तो राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगा सकेगा।

(6) वाहनों पर लाल या अन्य रंग की बत्ती का उपयोग सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा जो तत्संबंधी अधिनियम/नियम/सरकारी आदेश के अनुकूल होगा। किसी भी परिस्थिति में निजी वाहनों पर इस प्रकार का बत्ती उपयोग में नहीं लाया जायगा। जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार के लाल या अन्य रंग के बत्तियों का अनाधिकृत प्रयोग को तत्कालिक प्रभाव से सेका जायगा और आवश्यकतानुसार इस प्रकार के बत्ती एवं वाहनों को पकड़ कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाये।

(7) विभाग तथा अधीनस्थ लोक उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/स्वशासी निकाय के वाहनों के दुरूपयोग के लिए सरकार के सम्बन्धित विभागों के सचिव निजी रूप से, उत्तरदायी होगे। साथ ही सम्बन्धित वाहन जिस पदाधिकारी के साथ सम्बद्ध होंगे वे भी वाहनों के दुरूपयोग के लिए उतने ही उत्तरदायी समझे जायेंगे।

(क) सरकारी वाहनों का मतलब वह वाहन होगा जिसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है अथवा करने योग्य है। चाहे वह वाहन यान्त्रिक शक्ति या अन्य माध्यमों से प्रचालित हो। इस प्रकार सरकारी वाहनों की श्रेणी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकार के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/स्थानीय निकाय/नगर निगम/नगरपालिका/विपणन बोर्ड/सहयोग समिति एवं स्वशासी जिला परिषद या अन्य निकाय जिसमें लोक राशि चाहे वह कितनी ही अल्प मात्रा में क्यों नहीं निवेशित हो, के ट्रक, लॉरी, टेम्पो, जीप, कार, ऑटो रिक्सा, बस, नाव, जहाज, हेलिकॉपटर, हवाई जहाज आदि सम्मिलित होंगे।

(ख) जिला प्रशासन को सरकारी वाहनों के उपयोग पर सख्त निगरानी रखने तथा किसी भी व्यक्ति/उम्मीदवार द्वारा अथवा उनके चुनाव अभियान हेतु ऐसे वाहनों का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नजर रखने का निदेश दिया जाता है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के उक्त दिशा निदेशों का उल्लंघन करने हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों/पदाधिकारियों/संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4. अनुरोध है कि आयोग के निर्णय से सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को अपने स्तर से अवगत कराने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाये। उपर्युक्त निदेश पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे तथा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेंगे।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सम्बोधित राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्र संख्या पं.नि.30-01/201-1299 दिनांक - 28.02.2011.

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का निर्वाचन — पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण पर रोक के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन 2011 सफलतापूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निकायों/ग्राम कचहरी के आम निर्वाचन, 2011 से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। यह रोक निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात निर्वाचन परिणामों की विधिवत घोषणा होने तक प्रभावी रहेगी। **निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात यह रोक स्वतः समाप्त हो जायेगी।**

2. उक्त आलोक में आयोग द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

(1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के स्थानान्तरण पर पाबन्दी रहेगी।

(2) निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर भी रोक रहेगी।

(3) निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों (शिक्षक सहित) आदि के पदस्थापन/स्थानान्तरण पर रोक रहेगी।

(4) **यदि प्रशासनिक दृष्टि से चुनाव से जुड़े किसी पदाधिकारी/कर्मचारी का पदस्थापन/स्थानान्तरण आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पूर्वानुमति राज्य निर्वाचन आयोग से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।**

(5) सचिवालय स्तर पर पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पदस्थापन पर कोई रोक नहीं रहेगा।

(6) मेडिकल/पारा मेडिकल तथा आपातकालीन सेवाओं से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

3. अनुरोध है कि आयोग के उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन हेतु अपने स्तर से सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों को पूरी निष्ठा एवं सतर्कता बरतने का निदेश देने की कृपा करें। निदेशों की अवहेलना को आयोग द्वारा काफी गंभीरता से लिया जायेगा।

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्र संख्या पं.नि.30-01/2011-704 दिनांक - 13.02.2011।

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन — अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में।

वर्ष 2011 में पंचायत आम निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/ ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार हेतु मात्र एक यांत्रिक दुपहिया वाहन; मुखिया/ सरपंच/ पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद् सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार दुपहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन अनुमान्य किया गया है।

(1) यान्त्रिक वाहनों की संख्या का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है। यान्त्रिक वाहनो से कम समय में अधिक क्षेत्रों का दौरा किया जा सकता है तथा अभ्यर्थी अधिकतर मतदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित यान्त्रिक वाहनों के अतिरिक्त गैर यान्त्रिक साधनों, यथा रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि से भी प्रचार करना चाहते हैं, तो इसकी अनुमति दी जा सकती है, पर अभ्यर्थी को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि रिक्शा आदि पर आने वाला व्यय भी उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी को चार यान्त्रिक दुपहिया वाहन अथवा दो हल्का वाहन के स्थान पर उनके द्वारा अधियाचना किया जाने पर दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्के वाहन के उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

2. वाहनों की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव प्रचार कार्य के लिए है जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इस विहित अवधि के पश्चात किसी अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थक द्वारा प्रचार प्रसार हेतु मोटर वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

3. मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के संबंध में :

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी का यह अधिकार है कि वह मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखें कि मतदान की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है तथा उसके सामर्थकों / मतदान अभिकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मतदान की तिथि को भ्रमण हेतु विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को किस संख्या में वाहन के परिचालन की अनुमति दी जाए, इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त आयोग निम्न निदेश है :-

(2) पंचायत निर्वाचन में पदों एवं प्रत्याशियों की संख्या अत्यधिक रहने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वाहनों के परिचालन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावकारी नियंत्रण रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में, निम्न प्रकार से यांत्रिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी :-

(क) जिला परिषद् सदस्य	-	एक हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।
(ख) पंचायत समिति सदस्य	-	चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।
(ग) मुखिया	-	चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।

(घ) सरपंच - चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।

(ङ) ग्राम पंचायत सदस्य - कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं।

(च) पंच - कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं।

स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा।

वाहन हेतु परमिट /अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पत्र की मूल प्रति अभ्यर्थी /निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन के विन्ड स्क्रीन (*wind screen*) पर चिपकाई जाएगी। परमिट प्राप्त वाहन के अतिरिक्त अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा अन्य किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन वर्जित होगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन किए जाने पर उसे तुरंत जप्त कर लिया जाएगा तथा उक्त अभ्यर्थी को किसी दूसरे वाहन का परमिट नहीं दिया जाएगा। निदेशों की अवहेलना के आरोप में संबंधित अभ्यर्थी पर संगत विधानों के अधीन मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त अभ्यर्थी के किसी अन्य समर्थक को मतदान के दिन वाहन से भ्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. आयोग अवगत है कि मतदान के दिन यातायात से संबंधित सभी तरह के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए जाने से जनसाधारण को काफी असुविधा एवं परेशानी उठानी पड़ सकती है। अतः आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन कार्य से भिन्न अन्य सदभाविक उद्देश्यों (*bonafide purposes*)के लिए मतदान के दिन निम्न प्रकार के वाहनों के परिचालन की अनुमति दी जाएगी :-

(क) मालिक (*owner*) द्वारा, निजी कार्यवश, जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है, प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन।

(ख) मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर रहते हुए मालिक द्वारा स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को मतदान हेतु मतदान केन्द्र पर ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहन।

(ग) आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन, यथा अस्पताल के ऐम्बुलेन्स, मिल्क वान, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेन्सी वान तथा कर्तव्यरत आरक्षी एवं मतदान पदाधिकारियों के साथ संलग्न वाहन।

(घ) पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों, जो निर्धारित टर्मिनस एवं रूट पर चलायी जाती हैं ।

(ङ) टैक्सी, तीन पहिया वाहन, रिक्शा इत्यादि जिनसे अपरिहार्य परिस्थितिवश रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, अस्पताल आदि की यात्रा की जा रही हो।

(च) निजी वाहन, जिनका उपयोग बीमार अथवा निःशक्त व्यक्तियों द्वारा खुद के लिए किया जाता है।

5. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 141 (*vi*) के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केन्द्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं

उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के निःशुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा।

परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा।

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए की उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त उन्हें पाँच वर्षों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से निरर्हित भी किया जा सकता है ।

6. ऐसा पाया गया है कि चुनाव प्रचार की अवधि में अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थकों द्वारा अपने अन्य समर्थकों को निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ढोने हेतु प्राइवेट वाहनों का उपयोग किया जाता है तथा कई अवसरों पर ऐसे वाहनो का उपयोग असामाजिक तत्वों/ अपराधियों को घुमाने तथा बाहुबल का खुला प्रदर्शन करने हेतु भी किया जाता है, ताकि मतदाताओं के मन में भय/ आतंक का संचार हो तथा वे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में अपना मतदान करें अथवा मतदान करने ही नहीं आएं। ऐसे वाहनों का उपयोग कभी -कभी अवैध आयुध एवं गोला-बारूद (*arms and ammunitions*) की तस्करी हेतु भी किया जाता है जिसका प्रयोग निर्वाचन के समय अशांति एवं बाधा पैदा करने हेतु किया जा सकता है ।

7. अतः ऐसे अवांछित/ अवैध क्रियाकलापों को रोकने के लिए जिला प्रशासन को वाहनों के परिचालन पर सूक्ष्म निगरानी रखने की आवश्यकता है। अगर कोई वाहन आपराधिक गतिविधियों, यथा अवैध आयुध एवं गोला-बारूद (*arms and ammunitions*) अथवा असामाजिक तत्वों को मतदाता के मन में भय पैदा करने हेतु ढोने के उद्देश्य सहित अन्य रिष्टियों (*mischief*) में संलग्न पाया जाता है, तो उसे तुरंत जप्त कर लिया जाएगा तथा तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त ऐसे वाहनों के मालिक (*owner*), धारक तथा संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध संगत विधानों के अधीन आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

8. अनुरोध है कि आयोग के उपर्युक्त निदेशों से जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियो को अपने स्तर से तुरंत अवगत कराते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को भी आयोग को उपर्युक्त निदेश से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्र संख्या पं.नि.30-01/2011-3544 दिनांक - 13.04.2011

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2011 —मतगणना कार्य की शुद्धता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रत्येक जिले के अन्तिम चरण के मतदान समाप्ति के तीसरे दिन से प्रत्येक जिले में मतगणना कार्य आरम्भ करने का निदेश आयोग द्वारा पूर्व में दिया जा चुका है।

2. निदेशानुसार मतगणना कार्य की शुद्धता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग का निम्न दिशा निदेश संसूचित किया जाता है :-

(1) संपूर्ण मतगणना कार्य की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

(2) हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाएगी तथा अवांछित एवं बिना वैध अनुज्ञा के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

(3) मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी एवं उनकी गतिविधि संदेहास्पद पाए जाने पर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उन्हें तुरंत कर्तव्य से मुक्त करते हुए मतगणना केन्द्र से बाहर निकाल दिया जाएगा तथा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मियों के स्थान पर आरक्षित कर्मियों में से मतगणना कर्मियों की नियुक्ति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत "मतगणना संबंधी अनुदेश पुस्तिका" के अध्याय 4 में "मतगणना के लिए नियत किए गए स्थान में प्रवेश ", अध्याय 7 में "मतगणना कक्ष के लिए वर्जनाएं" तथा अध्याय 8 में "मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए अनुशासन" के संबंध में विस्तृत दिशा निदेश दिए गए हैं जिनका शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाना निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) का दायित्व होगा।

3. आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि मतगणना कार्य में किसी प्रकार की धांधली/ अनियमितता की शिकायत संपुष्ट होने पर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को पूर्णरूपेण उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई करने के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

4. आप अवगत हैं कि प्रत्येक प्रखण्ड में मतगणना कार्य के पर्यवेक्षण हेतु आयेग के दिशा निदेशों के अधीन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो पूरी मतगणना प्रक्रिया पर गहरी नजर रखेंगे तथा मतगणना अनुदेश के प्रावधानों के अनुसार उनके प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना परिणाम घोषित किया जा सकेगा। प्रेक्षकों को मतगणना परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को स्थगित करने अथवा परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित करने की शक्ति प्राप्त है। अतः निर्वाची पदाधिकारियों को यह स्पष्ट निदेश दे दिया जाए कि उनकी हर गतिविधि पर प्रेक्षक की गहरी नजर है तथा प्रेक्षक द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने पर निर्वाची पदाधिकारी संकट में पड़ सकते हैं।

5. अनुरोध है कि आयोग के उपर्युक्त दिशा निदेशों से सभी संबंधित को अविलंब अवगत करा दिया जाए तथा स्थानीय समाचार पत्रों / अन्य संचार माध्यमों से भी इसका प्रचार प्रसार करा दिया जाए। कृपया इस पत्र की प्रतिलिपि अपने स्तर से जिले में प्रतिनियुक्त प्रत्येक मतगणना प्रेक्षक को अविलंब उपलब्ध करा देने की कृपा की जाए।

अभ्यर्थियों/प्रत्यशियों और सरकार के मार्गदर्शन हेतु ''क्या करें'' व ''क्या न करें''।

क्या करें –

1. चल रहे कार्यक्रम जारी रह सकेंगे ।
2. अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण/ अनुमोदन प्राप्त करें।
3. बाढ, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारम्भ किए जाए और जारी रखे जायें।
4. गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सीय या नगद सुविधाएँ उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती हैं।
5. निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिये सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होने चाहिये।
6. विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवास निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को न्याय संगत आधार पर उपलब्ध होने चाहिये।
7. अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियॉ, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्र से संबंधित होनी चाहिये।
8. प्रत्येक व्यक्ति के शांन्तिपूर्ण और निर्विघ्न परिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।
9. प्ररतावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाय और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाय।
10. यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाय। यदि छूट आवश्यक हो तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाय और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाय।
11. प्रस्तावित सभा के लिये लाउडस्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिये अनुमति अवश्य ली जाय।
12. बैठक में गडबडी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जाय।
13. किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय व स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस प्राधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति ले लेनी चाहिये।
14. जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहॉ पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाय और पूरी तरह से उनका अनुपालन किया जाय। साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाय।
15. जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े।
16. शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाय।
17. कार्यकर्त्ताओं द्वारा बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये।
18. मतदाताओं की जारी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज की होनी चाहिए।जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिये।
19. मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण पालन किया जाय।
20. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान केन्द्र पर किसी भी समय प्रवेश कर सकते है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्चपदासीन हो (मुख्य मंत्री, मंत्री, सांसद सदस्य

या विधायक आदि) इसे मामले का अपवाद नहीं हो सकता, सिवाय कि वह संबंधित मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिये जा सकेगा।

21. निर्वाचनों के संचालन में कोई शिकायत या सगरया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों/ रिटर्निंग आफिसर/ जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट/ राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी में लायी जाय।
22. निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश/ निदेश/ दिशा-निर्देश का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जायेगा।

क्या ना करें –

1. सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/ उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यो में नहीं किया जायेगा। सरकारी वाहनों में (क) ट्रक (ख) लारी (ग) टैम्पो (घ) जीपे (ङ) कारे (च) आटो रिक्सा (छ) बसें (ज) वायुयान (झ) हेलीकाप्टर (ञ) पानी के जहाज (त) नावें (थ) जलस्पर्शी जहाज और निम्नलिखित से संबंध रखने वाले अन्य सभी वाहन शामिल है।
   (i) केन्द्र सरकार
   (ii) राज्य सरकार
   (iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
   (iv) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम
   (v) स्थानीय निकाय
   (vi) नगर निगम
   (vii) नगरपालिकायें
   (viii) विपणन बोर्ड (चाहे वह किसी भी नाम से जाने जाय)
   (ix) स्वायत्तशासी जिला परिषदें अथवा
   (x) कोई अन्य निकाय जिसमें सार्वजनिक निधि का एक भाग चाहे कितना भी क्यो न हो, निवेश किया गया हो।
2. सतारूढ दल/ सरकार की उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक कोष के व्यय पर कोई विज्ञापन जारी न करें।
3. किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा, आधारशिला रखना, नई सड़कों आदि के निर्माण कार्य का वचन देना आदि न करें।
4. सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों में कोई तदर्थ नियुक्तियाँ न करें।
5. कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगें, जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हो या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हो।
6. सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार/ चुनावी दौरा को कतई नहीं जोड़ा जायेगा।
7. वित्तीय अथवा अन्यथा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाय।
8. निर्वाचकों के जातीय/ साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिये।
9. ऐसा कोई कार्य न करें जिसे मौजूदा मतभेदों को बढावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो।
10. दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकर्त्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय।
11. असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे प्रत्याशियों या उनके कार्यकर्त्ताओं पर टीका टिप्पणी न की जाय।